

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे	
1	श्री कैलाश मीणा, राउमावि, लसाडिया उदयपुर	प्रधानाचार्य	07-07-1959	10-04-1993	20 YEAR	09-04-2013	10-04-2013	6600/-
2	श्री पूर्णचन्द, राआउमावि, खण्डेला तह0 किशनगंज बारा	प्रधानाचार्य	15-10-1959	20-09-1985	30 YEAR	30-06-2017	01-07-2017	6800/-
3	श्री शराफत हुसेन मन्सूरी, राआउमावि, आत्मा, (राजसमन्द)	प्रधानाचार्य	08-08-1962	15-09-1995	20 YEAR	14-09-2015	15-09-2015	6800/-
4	श्री बाबूलाल वर्मा, राउमावि, करवर, बून्दी	प्रधानाचार्य	01-09-1956	07-01-1995	20 YEAR	06-01-2015	07-01-2015	6800/-

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-5,6,8/एसीपी/उदय/कोटा/भरत/2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 3- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी

5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर